अपील सूचना अधिकार संख्या 66/2020 (RCMS 2020/00113) जीवनदास आसिया, अग्रणबास श्री बालाजी, जिला नागौर–341029 (मोबाईल नं. 90792–44814) <u>बनाम</u> अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्र.), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>28.09.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जीवनदास स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2020 प्रस्तुत करके दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जीवनदास ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2020 के द्वारा प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. वेद प्रकाश, टीआरए जो राजस्व तहसील पदमपुर में कार्यरत है जिसकी प्रथम नियुक्ति के समय कार्यालय में जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया उस जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपल्बध करवावें।
2. इस अधिकारी की राजस्व विभाग में जो प्रथम नियुक्ति हुई, उस प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/167–168 दिनांक 24.06.2020 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि आवेदनकर्त्ता श्री जीवनदास आसिया अग्रणबास श्री बालाजी नागौर द्वारा श्री वेद प्रकाश, टी.आर.ए. की सूचना इस कार्यालय से चाही गयी थी जबकि वेद प्रकाश टी आर ए इस कार्यालय में पदस्थापित नहीं हुए।

अतः सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।

तहसीलदार (राजस्व)
पदमपुर

चूंकि उक्त प्रतिवेदन के अनुसार सम्बन्धित टी.आर.ए. तहसील पदमपुर में कभी नियुक्त नहीं रहा है। इसलिए उनके द्वारा अपने पत्रांक 168 दिनांक 24.06.2020 के द्वारा उक्त जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर